

No.
Price Rs. 3500/-

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C.G.)
APPLICATION FORM FOR AFFILIATION

To,

The Registrar,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.) 492010

Sir,

I Chairman/Secretary of the Foundation Society/Governing Body/Principal of the affiliated college have the honor to apply for the affiliation of

(Name of the Institution/College with Full address)

..... to the Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur C.G. with following class & subjects from the session 20.....- 20....

Class	Subject	Seats
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.

- The Governing body/Principal of the college/Foundation Society/Affiliated shall be accompanied a certified from the commissioner, Higher Education, Directorate as well as NCTE/ AICTE/BCI is attached herewith.
- The permission of the Department Commissioner of higher education, state government as wells as NCTE /AICTE/BCI is attached herewith.
- The particulars required are contained in the following pages.
- The processing/ application fee of Rs. 3500/- and advance fee for Affiliation Rs. as prescribed by the statutes 27, here with (Please attach the University Receipt.)
- Name of Foundation Society & Full address.....
- Registration No.

Your Faithfully,

Signature

Name & Designation

(Only Chairman/Secretary/Principal)

Full Address

.....

.....

Contact No.- Mobile No.

e-mail address

Date/...../20

- Note :-**
1. Please enclose the inspection report duly filled with supporting documents in two copies.
 2. Application fee is not refundable after Inspection.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

निरीक्षण प्रतिवेदन फार्म (महाविद्यालयों के लिए) भाग “अ”

महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव द्वारा संबंधित अभिलेखों को संलग्न करते हुए स्पष्ट जानकारी दी जाए :

1. संस्था से सम्बन्धित जानकारी –

- (अ) पंजीकृत संस्था/समिति का पूरा नाम :
- (ब) समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि का विवरण
- (i) महानगरीय क्षेत्र में – 2 एकड़
 - (ii) ग्रामीण क्षेत्र में – 5 एकड़
- (स) इंडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि का विवरण :
- जो कम से कम तीन वर्षों के लिए अप्रति संहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज तथा विश्वविद्यालय के संयुक्त के नाम पर स्थाई कायिक निधि के सृजन एवं रखरखाव का साक्ष्य—
- अ. सामान्य पाठ्यक्रम के लिए – 15 लाख
- ब. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए – 35 लाख
- (द) संस्था का स्थापना वर्ष :
- (इ) संस्था का पिछले तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर आय-व्यय, बजट प्रावधान सहित विवरण :

2. महाविद्यालय से सम्बन्धित जानकारी –

- (अ) महाविद्यालय का नाम (अ) हिंदी में :
- (ब) अंग्रेजी में :
- (केरीटल अक्षरों में) :
- (ब) महाविद्यालय का स्थापना वर्ष :

- (स) विश्वविद्यालय का नाम :
जहाँ से सम्बद्धता प्राप्त है/सम्बद्धता चाही गई है
- (द) भवन स्वयं का/ किराए का या लीज पर :
यदि स्वयं का भवन नहीं है तो भी प्रथम वर्ष में अनुमति रहेगी द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा करना होगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक स्वयं के स्थाई भवन में पूरी तरह स्थानांतरित होना होगा। विशेष परिस्थिति में अनुरोध पर अधिकतम विस्तार 5 वर्ष तक किया जा सकेगा।
- (इ) जिस भवन में महाविद्यालय चलाया जाना है,
उसका क्षेत्रफल :
उसका क्षेत्रफल
- (फ) भवन में कुल कमरों की संख्या एवं प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल (मानदंड प्रति छात्र 15 वर्गफुट) :
भवन में कुल कमरों की संख्या एवं प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल (मानदंड प्रति छात्र 15 वर्गफुट)
- (त) उपरोक्त कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था :
उपरोक्त कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था
- (थ) यदि प्रायोगिक विषयों के पाठ्यक्रमों की स्वीकृति है, या स्वीकृति ली जा रही है तो उपयुक्त प्रयोगशालाओं की जानकारी उपकरण सहित (मानदंड— प्रति छात्र 20 वर्गफुट)

3. उपलब्ध उपकरणों की जानकारी –

- (अ) क्या संस्था में लैंड लाईन टेलीफोन है ? यदि है, तो शहर के कोड सहित नंबर अन्य महत्वपूर्ण मोबाइल
- (ब) फैक्स सुविधा है ? यदि है, तो शहर के कोड सहित नंबर
- (स) महाविद्यालय का ई—मेल :
- (द) संस्था में उपलब्ध कम्प्यूटर, टर्मिनल्स की संख्या ? :
- (इ) कितने छात्रों के लिए क्लास रूम, फर्नीचर उपलब्ध है ?
- (फ) महाविद्यालय में उपलब्ध डी.व्ही.डी., आडियो—वीडियो कैसेट्स की जानकारी
- (त) संस्था में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाएँ

4. संस्था में शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी –

- (अ) परिनियम 28 के अंतर्गत अथवा शासन द्वारा नियुक्त प्राचार्य का नाम :
 (नियुक्ति दिनांक / नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- (ब) प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यताएँ :
- (स) प्राचार्य का अध्यापन / प्रशासनिक अनुभव :
- (द) दिया जा रहा वेतनमान – छ.ग. शासन के अनुसार :
- (इ) यदि प्रभारी प्राचार्य हैं तो उनका नाम एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित / संविदा) :
- (फ) महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों का विवरण :

क्र.	नाम	धारित पद	विषय	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	नियुक्ति का प्रकार नियमित / संविदा	देय वेतनमान

महाविद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार है। स्पष्ट करें कि क्या उक्त नाम्स के आधार पर विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। प्राप्त सम्बद्धता के अनुसार जानकारी संलग्न की जाए।

1.	कला—समाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय	स्नातक	स्नातकोत्तर
		प्रत्येक विषय में एक	प्रत्येक विषय में चार
2.	वाणिज्य संकाय	प्रत्येक विषय में तीन	प्रत्येक विषय में सात
3.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	एन.सी.टी.ई., बी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई., आई.एन.सी.आदि के प्रावधान के अनुसार	

(त) यदि अपेक्षित संख्या में प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अनुसार नहीं की गई है, तो नियुक्ति किए जाने की कार्ययोजना :

5. अशैक्षणिक स्टाफ के सम्बन्ध में जानकारी –

(अ) यदि विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत ग्रंथालय की नियुक्ति की गई है, तो उनका नाम एवं नियुक्ति दिनांक :

(ब) विश्वविद्यालय के मानदंड के अनुसार महाविद्यालय संचालन हेतु नियुक्त किए गए अन्य तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम, पद एवं योग्यता व वेतनमान :

क्र.	नाम	पद	नियुक्ति का प्रकार नियमित / संविदा वि.वि. परिनियम 28 के तहत	देय वेतनमान

6. ग्रंथालय से संबंधित जानकारी –

(अ) ग्रंथालय भवन का कुल क्षेत्रफल

(ब) ग्रंथालय में उपलब्ध विषयवार पुस्तकों की संख्या कम से कम 1000 पुस्तकों अथवा प्रत्येक विषय पर 100—100 पुस्तकों जो भी अधिक हो। निकट भविष्य में पुस्तकों क्रय की जाने की योजना

(स) विषयवार उपलब्ध पत्र/पत्रिकाओं की संख्या प्रत्येक विषय पर दो जर्नल ST/SC/OBC/ निर्दिष्ट छात्रों के लिए बुक बैंक सुविधा

7. खेलकूद की सुविधाएँ –

(अ) आउटडोर गेम (मैदान सहित) की सुविधा :

(ब) क्या मैदान महाविद्यालय का है ?

(स) इनडोर गेम की सुविधा :

8 अन्य सुविधाएँ

- (a) क्या केंटिन की व्यवस्था है ? :
- (b) प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था :
- (c) स्वच्छ पेय जल व्यवस्था है / नहीं है :
- (d) छात्रावास की सुविधा
i. पुरुष – सीट
ii. महिला – सीट :
- (e) ध्यान योग केन्द्र :
- (f) गर्ल्स कामन रूम :
- (g) विकलांग छात्रों के लिए सुविधा :
- (h) विद्युत – प्रकाश / हवा :
- (i) प्रेक्षा गृह :
- (j) बहुदेशीय कॉम्प्लेक्स :
- (k) छात्रवृत्ति :
- (l) शिक्षण शुल्क में रियायत :

9. महाविद्यालय के वार्षिक बजट की जानकारी—

- (अ) महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले पर वर्ष में भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं भत्ते की जानकारी :
- (ब) महाविद्यालय के अशैक्षणिक अमले पर वर्ष में भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं भत्ते की जानकारी :
- (स) ग्रंथालय में पुस्तकें एवं पत्र / पत्रिकाएँ क्रय किए जाने हेतु प्रावधानित राशि :
- (द) प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों पर व्यय के लिए प्रावधानित राशि :
- (इ) अन्य प्रासांगिक एवं व्यय की जानकारी – कुल राशि :
- (फ) महाविद्यालय में आय के स्रोतों की जानकारी :
- तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता के बाह्य स्रोत के महाविद्यालय संचालित करने हेतु महाविद्यालय के पास अपनी स्रोत से पर्याप्त आवृत्ति आय है, अपनी स्रोत से महाविद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से इस आशय का वचन पत्र संलग्न किया जाए।

10 परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी

- (त) महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के :
 अंतिम वर्ष के विगत तीन वर्ष के परीक्षाफल /
 प्रतिशत

पाठ्यक्रम	छात्रसंख्या		उत्तीर्ण छात्र		परिणाम प्रतिशत	
	नियमित	स्वाध्यायी	नियमित	स्वाध्यायी	नियमित	स्वाध्यायी

11 सम्बद्धता संबंधी जानकारी :

- 11.1** पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से दी
 गई सम्बद्धता का विवरण :

कक्षा	विषय	सम्बद्धता का स्वरूप स्थाई/अस्थाई	निर्धारित सीट	प्रारंभ सत्र

पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ?

विवरण पृथक से संलग्न किया जाए।

- 11.2** अन्य विश्वविद्यालय से ली गई सम्बद्धता :
 अनुमति का विवरण

विश्वविद्यालय का नाम	कक्षा	निर्धारित सीट

11.3 प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके
लिए सम्बद्धता चाही गई है

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र

11.4 प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए मान्य
संस्था/राज्य शासन से प्राप्त अनुमति
पत्र का विवरण (प्रति संलग्न करें)।

कक्षा	विषय	सीट

12. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र निर्धारित :
प्रवेश एवं अन्य शुल्क

13. प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रवेश में क्या किसी प्रकार की सियायतें दी जाएंगी ?

प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप के भाग “अ” में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। संस्था के पास सतत और कार्य कुशल ढंग से करने के लिए पर्याप्त आवृत्ति आय है। संस्था/महाविद्यालय छात्रों एवं पालकों से केपिटेशन फीस/दान एकत्रित नहीं किया जाता।

दिनांक :

प्राचार्य

अध्यक्ष/सचिव

महाविद्यालय

शासी निकाय

भाग “ब”

भाग ‘अ’ में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं :
हस्ताक्षरण

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर – नाम-
पता

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं
नाम—पता
.....

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

====